

FORM NO. III


फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत तहसीलदार, मण्डावर मुकाम-मण्डावर (दौसा)

सरकार बनाम सुरेश पुत्र पाल्या
किस्म मुकदमा- भू0 राजस्व अधि0 1956 की धारा 91 प्रकरण संख्या-14 सन्-2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही भय इनिशियल्य जज मुकदमा नम्बर-14/2023	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
18.07.2023	<p>पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट इस आशय से पेश की सम्बत् 2080 ग्राम सरावली भूमि ख0न0 95 कुल अतिक्रमित रकबा 0.01 है0 राजकीय सिवायचक भूमि किस्म गै0मु0 रास्ते पर गैर सायल सुरेश पुत्र पाल्या जाति माली निवासी ग्राम मण्डावर द्वारा उक्त भूमि को जोतकर अतिक्रमण कर लिया गया है। अतिक्रमी की रिपोर्ट पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, गैर सायल को राजस्थान भू0-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्राप्त होने पर गैर सायल की पत्नि न्यायालय हाजा में उपस्थित आयी एवं अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया। अतः गैर सायल का अतिक्रमण सिद्ध होता है।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि उक्त प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतः गैर सायल का अतिक्रमण सिद्ध होने से गैर सायल को उक्त अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया जाता है तथा भू-राजस्व लगान दर 0.44 रुपये का 50 गुणा 22 रुपये पेनल्टी राशि से दण्डित किया जाता है।</p> <p>बेदखली, एवं वसूली हेतु आई0एल0आर0/पटवार हल्का को लिखा जावे। मांग कायमी TRA करावे। बाद तकमील पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले अदालत में सुनाया गया।</p>	


तहसीलदार
मण्डावर (दौसा)

10 ल0 रा0 4 वर्ष 2023-24 का
10 सं0-4 पर-22 रु
कायमी की गई।



तहसील राजस्व लेखाका